[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3 (91)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 98   Dated: 23/1/ 2018

Notification No. 3/2018- State Tax (Rate)

No.F3(91)/Fin.(Rev-I)/2017-18/.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No.F3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017.";

(ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

'(f) "insurance agent" shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).'.

2. This notification shall come into force with effect from the 25th day of January, 2018.

By order and in the name of the Lt.
Governor of National Capital Territory
of Delhi,

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

No.F3 (91)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 98 Dated: 23/2/ 2018

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

Note: - The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, *vide* number No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No.33/2017 – State Tax (Rate), dated the 12th December, 2017 *vide* number No. F3(46)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/807 dated the 12th December, 2017.

[दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व-1) विभाग

दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03(91)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 98 दिनांक 23/01/ **2018**

अधिसूचना सं0 3/2018- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(91)/वित्त(राज0-1)/2017-18/.- दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं0फा0 03(15)/ वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/379, तारीख 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5क	दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति।

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-
'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।' ।

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(ए० के० सिंह)

उप-सचिव -VI (वित्त)

सं0फा0 03(91)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 98 दिनांक 23/01/ 2018

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
5. आयुक्त, राज्य कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
7. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेबसाइट।

(ए० के० सिंह)

उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(15)/ वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/379, तारीख 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 12 दिसंबर, 2017 जिसे सं0फा0 03(46)/ वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/807, 12 दिसंबर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।